

राजस्थान सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

| क्र.सं. | छात्रवृत्ति योजना का नाम | कक्षा | दर प्रतिमाह | कुल 10 माह की राशि रु. |
|---------|--------------------------------------|----------|-------------|------------------------|
| 1 | SC अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक | 11 से 12 | 230 | 2300 |
| 2 | ST अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक | 11 से 12 | 230 | 2300 |
| 3 | SBC, विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक | 11 से 12 | 230 | 2300 |
| 4 | OBC अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक | 11 से 12 | 160 | 1600 |

1. उपरोक्त छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु विभाग को बजट का आवंटन आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। निदेशालय स्तर पर प्राप्त बजट को अधीनस्थ संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारियों को उनकी मांग के अनुसार आवंटित किया जाता है।
2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।